

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

क्रमांक.....5560...../त.शा.

रायपुर दिनांक 12 / 11 / 2008


प्रति,

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
रायपुर/धमतरी/महासमुंद/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/
कांकेर/जगदलपुर/दंतेवाड़ा/बीजापुर/नारायणपुर
परियोजना खण्ड रायपुर/भिलाई/बिलासपुर

विषय -

एक खण्ड से दूसरे खण्ड में सामग्रियों के प्रदाय अथवा भुगतान हेतु उच्चाधिकारी की अनुमति लेने के संबंध में ।

विशेष परिस्थितियों में एक खण्ड से दूसरे खण्ड को सामग्रियों के प्रदाय अथवा एक खण्ड का भुगतान दूसरे खण्ड द्वारा किये जाने की स्थिति कभी-कभी उत्पन्न होती है । ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि ऐसा transaction वित्तीय नियमों के अंतर्गत उच्चाधिकारी की लिखित अनुमति के उपरांत ही किया जाये । चूंकि प्रत्येक खण्ड को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ही आबंटन एवं साख-पत्र प्रदाय किया जाता है, अंतर्खण्डीय transaction से दोनो ही राशि प्रभावित होती है अतः ऐसा सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए एवं अत्यावश्यक होने पर उच्चाधिकारी की लिखित अनुमति के पश्चात ही किया जाना चाहिए । ऐसा नहीं किये जाने पर इसे वित्तीय अनियमितता माना जाकर संबंधित कार्यपालन अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है । वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिये उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।


मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

पृ.क्रमांक...../त.शा.

रायपुर दि. / / 2008

प्रतिलिपि :-

अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडल रायपुर/दुर्ग/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर